

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : कैबिनेट का रहस्य कैसे आउट हो गया ?

SHRI K.C. PANT : Nor has there been any official briefing. I made inquiries this morning. There was no official briefing.

श्री हुकम चन्द कछवाय (उज्जैन) : आखिर सरकार की गोपनीय रिपोर्ट कैसे समाचारपत्रों में पहुँच गयी ? यह लीकेज कैसे हो गई ?

MR. SPEAKER : This is not a budget document about which the question of leakage can arise. There is no question now, because the Prime Minister did not make a statement.

श्री कंवरलाल गुप्त (दिल्ली सदर) : जान-बूझकर लीक करेंगे तो कैसे होगा ? सरकार की गोपनीय रिपोर्ट समाचारपत्रों के पास पहले कैसे पहुँच गयी ?

अध्यक्ष महोदय : वह तो मैंने कहा कि मैं उस बारे में देखूँगा बाकी मंत्री महोदय ने बताया है कि कल वह कैबिनेट में डिस्कस हुआ था और आज वह उसे ले कर रहे हैं ।

SHRI K.C. PANT : The decision was taken last evening and we could not have brought it before the House earlier than we have done.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) : यह रिपोर्ट उन को कब मिली ?

अध्यक्ष महोदय : यह बाद में पूछ लीजियेगा ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : बाद में कब पूछें ? क्या लंच में पूछें ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय यह कह रहे हैं कि कल शाम ही उन्होंने कैबिनेट में इस पर चर्चा की और डिसेशन लिया इसलिए वह उस रिपोर्ट को कल से पहले हाउस की टेबुल पर ले नहीं कर सकते थे ।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : पेश करने से पहले कैबिनेट में ऐप्रूव कराना पड़ता है ।

12.53 hrs

BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, AND SHIPPING & TRANSPORT (SHRI RAGHU RAMAIAH) : With your permission, Sir, I rise to announce that Government Business in this House during the week commencing from 30th November, 1970, will consist of :—

- (1) Consideration of any item of Government Business carried over from today's Order Paper.
- (2) Consideration and passing of : The Indian Medicine Central Council Bill, 1970, as passed by Rajya Sabha.
- (3) Discussion and voting on :

Demands for Excess Grants (General) for 1968-69.

Supplementary Demands for Grants (General) for 1970-71.

Demands for Excess Grants (Railways) for 1968-69.

Supplementary Demands for Grants (Railways) for 1970-71.

- (4) Consideration and passing of :—

The Supreme Court Judges (Conditions of Service) Amendment Bill, 1968.

The Chartered Accountants (Amendment) Bill, 1969.

The Maternity Benefit (Amendment) Bill, 1967, as passed by Rajya Sabha.

[Shri Raghu Ramaiah]

The Industrial Disputes (Amendment) Bill, 1968, as passed by Rajya Sabha.

The Prevention of Insults to National Honour Bill, 1970.

- (5) Further discussion under Rule 193 regarding establishment of Cotton Corporation of India at 4.30 p.m. on Wednesday the 2nd December, 1970.

DR. RAM SUBHAG SINGH (Buxar): The question of unemployment should be given priority and some time should be allotted by Government for its discussion.

MR. SPEAKER: We are committed to conclude our business this session on the 18th of next month. Personally also I stood committed to certain discussions during this session.

AN HON. MEMBER: On what?

MR. SPEAKER: Some members raised certain issues when they saw me and I said 'we will find time'. So I convey to the Minister that if we are not able to find time for these during the programme already issued, we will have to go on for another day two. If we do not finish the discussion of all the various items, about which references were made, I give advance notice to the Minister that we may have to sit on the 21st and 22nd also. Otherwise, as things go on at this speed, we will not be finishing the business to which we stand committed from the previous session.

SOME HON. MEMBERS—*rose*.

MR. SPEAKER: You must be knowing that the Bhim Club is having a lunch today!

SHRI RAGHU RAMAIAH: As regards extension of the session, may I be permitted to consult Government?

MR. SPEAKER: He may; he must.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर):
श्री शुभ संसद में राज्य मंत्री श्री क. सी.

पन्त ने चन्द्राचूड़ कमिशन की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी है। मैं माँग करता हूँ कि उस रिपोर्ट पर मौजूदा सत्र समाप्त होने से पहले सदन में बहस होनी चाहिये। सदन की बैठक समाप्त होने से पहले उस पर विचार के लिए समय निकाला जाय।

डा० राम सुभग सिंह: मैं इस माँग का समर्थन करता हूँ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: दूसरी बात यह है कि जैसे डा० राम सुभग सिंह ने बेकारी की बढ़ती हुई समस्या पर चर्चा करने के लिए इसी सत्र में समय निकालने की माँग की है तो उस समस्या पर भी चर्चा करने के लिए सदन को समय मिलना चाहिए।

SHRI R.K. AMIN (Dhandhuka): You will remember that during the last session, you gave a promise that the Fourth Plan would be discussed in the next session, that is, this one. 15 hours were allotted then for it. You even said that it would be taken up in the first week. Now two weeks are over and we are at the end of the third, and yet there is no trade or indication of any discussion coming.

MR. SPEAKER: My promises are not commitments; they are for presentation before the Business Advisory Committee.

SHRI R.K. AMIN: Can we have a discussion before the Plan is over?

SHRI PILOO MODY (Godhra): Before it starts.

SHRI R.K. AMIN: Now a mid-term appraisal will come.

SHRI SHRI CHAND GOYAL (Chandigarh): A number of hon. members give notices of no-day-yet named motions. It is unfortunate that hardly one or two of them are admitted and discussed in each session. Last time, a meeting of that Committee was held and it was said that this was to be decided in the Business Advisory Committee. Some time must be found to discuss some of these motions because some of them are really concerned

with very important subjects. We know that Shri P. V. Shastri's motion regarding subversive activities was considered in three successive sessions. Time could not be found in one session for one motion. So, my respectful submission is that more time must be found for such motions.

13 hrs.

श्री हुकम चन्द कछवाय (उज्जैन) : हिन्दु-स्तान के अन्दर कपड़ा उद्योग की स्थिति बहुत खराब है और काफी मिलें बन्द होती जा रही हैं। क्या सरकार इस पर चर्चा करने का कोई विचार रखती है? केन्द्र और राज्यों में बहुत से कैजुअल मजदूर ऐसे हैं जो बीस-बीस साल की नौकरी करने के बाद भी स्थायी नहीं किये हैं। क्या उन पर चर्चा करने के लिये सरकार समय निकालेगी?

SHRI S.M. BANERJEE (Kanpur) : I am really sorry to learn that the hon. Minister of Parliamentary Affairs did not consider it fit to have a discussion on the Prevention of Violent Activities Act of 1970 which has been implemented in West Bengal. You know this Act was never discussed by the House. It was simply discussed in the Advisory Council, and this House did not get an opportunity to discuss it. Some of the Members of this House have already tabled a statutory resolution, which has been admitted and circulated on the 26th November, 1970, reading :

"That the Prevention of Violent Activities Act, 1970, rereplaced by the President by enacting a replacing Act. This House recommends to Rajya Sabha that Rajya Sabha do concur in this Resolution."

This House has been ignored completely, and so we want a discussion on that.

Secondly, for long time we have been demanding that the case of the policemen who are still roasting on the streets should be considered. I know that the Home Minister has taken a decision. Let him announce it.

श्री रवि राय (पुरी) : भाषको मासूम होगा कि ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म कमीशन की पर्सनिल के बारे में जो रिपोर्ट थी उसके बारे में हम लोग तीन महीने पहले से माँग कर रहे थे कि बहस होनी चाहिए। इसके सम्बन्ध में एक काम तो यह हुआ है कि सरकार की तरफ से एक सैक्रेट्रीज की कमेटी बना कर ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्मस कमिशन का पर्सनिल के बारे में जो सुझाव था उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इसलिये इस सुझाव के बारे में बाकायदा बहस होनी चाहिए। मैं श्री बनर्जी की इस माँग का भी समर्थन करता हूँ कि सरकार ने जो पी. डी. ऐक्ट लागू किया है प्रेजिडेंट के आर्डर के द्वारा उस पर सदन में बहस होनी चाहिये। तीसरी चीज यह है कि अनएम्प्लायमेंट के बारे में भी सदन में बहस होनी चाहिये।

श्री मधु लिमये (मुं गेर) : हम लोग जो सवाल यहाँ उठाते हैं उनका जवाब स्पष्ट रूप से मंत्री महोदय को देना चाहिए। लेकिन पिछली बार उन्होंने कहा कि मैं आपकी बात सरकार के कानों में डालूंगा। उसके बाद आज तक उन्होंने कोई खुलासा नहीं किया। हम लोग जो सवाल उठाएँगे यहाँ पर उसके बारे में मंत्री महोदय को क्या जवाब देना चाहिये पहले इसके बारे में फंसला होना चाहिये।

दूसरी बात मैं यह उठाना चाहता हूँ कि कल से पटना से खबरें आ रही हैं कि पटना विश्वविद्यालय बन्द हो गया। उसका कारण यह है कि जो विश्वविद्यालय के कर्मचारी हैं नान-टीचिंग, उनकी हड़ताल के कारण वहाँ की परीक्षाएँ भी टल गई हैं। छात्र लोग इससे नाराज हैं। यह यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन का मामला है, इसलिये इस पर भी बहस का मौका मिलना चाहिए। यूनिवर्सिटी गवर्नंस कमेटी उन्होंने नियुक्त की थी। उसकी भी रिपोर्ट नहीं आई है। मैं जानना चाहता हूँ कि उसकी रिपोर्ट

[श्री रविराय]

कब आयेगी। छात्रों में बड़ा असन्तोष हो रहा है क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन में उनको कोई हिस्सा नहीं मिल रहा है तो जिस प्रकार से राज्य सभा में इस पर बहस हुई है उसी तरह से क्या हमको मौका नहीं मिलना चाहिये? क्या मंत्री महोदय इसका जवाब देंगे?

अध्यक्ष महोदय : मेरा अपना खयाल है कि होना चाहिये।

SHRI NATH PAI (Rajapuri) : Mr. Speaker, I should draw your attention to the fact that there was no mention in the Minister's statement of any of the important matters mentioned by Dr. Ram Subhag Singh. The issues are very explosive. Take for instance, unemployment. I think the House should be given an adequate opportunity to discuss it because ultimately I think this will be the issue to assume dangerous proportions unless we discuss it very seriously and offer reasonable solutions.

It is nearly three weeks since you directed the Minister of Defence to come with a statement arising out of my privilege motion against him.

MR. SPEAKER : You have already been informed about it.

SHRI NATH PAI : When is he making the statement? For the three weeks I waited patiently. In between the issue is being prejudiced by all kinds of things. Have you any indication of the time?

MR. SPEAKER : I was informed after you received information.

श्री जनेश्वर मिश्र (फूलपुर) : सबसे पहले मैं जनसंघ के नेता श्री वाजपेयी की इस मांग का समर्थन करता हूँ कि श्री दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु के कारणों की जाँच करने के लिये जो आयोग बैठा था उसकी रिपोर्ट पर बहस होनी चाहिए।

इसके साथ-साथ मैं यह भी माँग करता हूँ कि जितने राजनीतिक नेता हैं, खासकर श्री लाल-बहादुर शास्त्री और डा० लोहिया, जिनकी मृत्यु के बारे में जनता के मन में शक है, विशेषकर श्रीमती ललिता शास्त्री के मन में, उनके सम्बन्ध में सदन को पूरी बहस करने का मौका मिलना चाहिये।

दूसरी बात यह कि अगले हफ्ते में संसद-कार्य मंत्री के जरिये से शिक्षा मंत्री का वक्तव्य चाहता हूँ कि काशी विश्वविद्यालय में जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इमारत है जिसको उसने अभी तक खाली नहीं किया है, विश्वविद्यालय के अधिकारियों के आदेश के बावजूद खाली नहीं किया है, उसके सम्बन्ध में शिक्षा मंत्री और दिल्ली की सरकार क्या कर रही है?

श्री शिवचन्द्र भा (मधुबनी) : अभी उस दिन भी मैंने यह बात उठाई थी कि चौथी पंच-वर्षीय योजना पर, जिस पर बहस के लिए पन्द्रह घंटे रक्खे गये हैं, बहस होगी या नहीं। अगले हफ्ते की कार्रवाई आ गई है, हमें उससे नहीं मालूम हो रहा है कि उस पर बहस होने जा रही है। अगर मंत्री महोदय के पास समय नहीं है तो 20-21 दिसम्बर तक सदन को चलाना बहुत अच्छा होगा। अगर वह भी सम्भव न हो तो हम लोग सैटरडे को बैठ सकते हैं और उस पर बहस कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : सैटरडे को नहीं।

श्री शिवचन्द्र भा : तब हम लोग जरूरत हो तो हाउस को 25 तारीख के बाद भी बढ़ा सकते हैं।

दूसरी बात यह कि यहाँ पर प्रेस की स्वतन्त्रता पर बहस होनी चाहिये। हिन्दुस्तान का प्रेस बिल्कुल स्वतन्त्र नहीं है। यहाँ पर सवाल आया था लेकिन उस पर प्रश्न करने का मौका नहीं मिला। हिन्दुस्तान का प्रेस अभी तक

आजाद नहीं है। फ्रीडम आफ दि प्रेस पर यहाँ जरूर बहस होनी चाहिये।

तीसरी बात यह है कि बंगाल का जो प्रिवेंशन आफ वायोलेंट ऐक्टिविटीज ऐक्ट आया है, जिसके मुताबिक स्टैटुटरी रेजोल्यूशन पर मेरा भी नाम है, उस पर भी बहस होनी चाहिये। यह एक गम्भीर मामला है। जिस तरह से अंग्रेजों ने रौलट ऐक्ट बनाया था उसी तरह से यह ऐक्ट भी आजाद हिन्दुस्तान का रौलट ऐक्ट है। इस पर बहस होनी आवश्यक है।

श्री भोलू प्रसाद (वांसगांव) : मैं आपके माध्यम से मंसू-कार्य मंत्री से जानना चाहता हूँ कि एलाया पेरूमल रिपोर्ट के फलस्वरूप पिछले सत्र में अस्पृश्यताविचारक अधिनियम को प्रभावी बनाने का जो विधेयक पास होने वाला था क्या उसको इसी सत्र में पेश करने का सरकार का विचार है? जो अले सप्ताह की कार्रवाई दी गई है उसमें इसका समावेश नहीं है। इसलिये हमको बतलाया जाय कि वह इस सत्र में पेश होकर पास होगा या नहीं?

SHRI BAKAR ALI MIRZA (Secunderabad) : Sir, I submit to you with great respect that whenever we pass a Bill in this House we expect that within a reasonable period of time it becomes an Act. The Lokpal and Lok Ayukt Bill is lying with the Rajya Sabha for more than one year. We took four years to pass this Bill in this House and it is now more than one year with Rajya Sabha. Is this being done to shield some Ministers? Do they want to postpone it so that it will come only after the next elections?

Secondly, a number of delegations are meeting the Prime Minister every day and we are told that the Prime Minister has been telling so many people so many things about Telenganga. After the recent elections there is a complete change. I would submit that you should give some time so that we can discuss the Telenganga question.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : पिछले दो छुक्रवार से मैं लगातार इस बात को दोहराता आ रहा हूँ और आपके कान भी शायद याद करेंगे कि श्री राम निवास मिर्चा ने श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के सम्बन्ध में आवश्यक कागजात मेज पर रखने का आश्वासन दिया था। सरकार उन कागजात को नहीं रख रही है। इससे तरह-तरह की अतिशय और सन्देह बढ़ रहे हैं। एक तो मैं यह चाहता हूँ कि वे कागजात जल्दी से जल्दी सभा की मेज पर रखे जायें और उस पर चर्चा का अवसर दिया जाए।

दूसरी बात यह है कि जिस तरह से राज्य सभा को यह अवसर मिला कि आकाशवाणी की निष्पक्षता बनाये रखने के लिए एक निष्पक्ष आयोग जांच करने के लिए बनाया जाए, उसी तरह से जांच आयोग की नियुक्ति के सम्बन्ध में एक चर्चा का अवसर लोक सभा को भी मिलना चाहिये।

तीसरी बात यह है कि बेरोजगारी के सम्बन्ध में मैंने अपना एक विधेयक दिया है और उसमें मैंने कहा है कि प्रत्येक बेरोजगार को रोजी दी जाए, नहीं तो बेरोजगारी का भत्ता दिया जाए; आप कुन्टे साहब को कहें जोकि कमेटी के अध्यक्ष हैं कि वह उसको प्राथमिकता दे दें ताकि उसी माध्यम से उस पर चर्चा हो जाए।

श्री हेम राज (कांगड़ा) : आपको याद होगा कि गवर्नमेंट ने घोषणा की थी कि हिमाचल प्रदेश को स्टेटहुड दे दिया जायेगा। आज यह आया है कि गवर्नमेंट उस विधेयक को पेश करने जा रही है। वह बड़ा नान-कंट्रोवर्शल सा बिल है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उस बिल को अगले सप्ताह पास कर दिया जाए?

श्री देवराव पाटिल (यवतमाल) : आपने एक जो आश्वासन दिया था उसकी तरफ मैं

[श्री देवराव पाटिल]

आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। नियम 193 के अन्तर्गत काटन कापीरेशन पर चर्चा हो रही थी। उसको पूरा करने के लिए मैंने आपसे बिनती की थी। आप 28 अगस्त की प्रोसीडिंग्स को देखें। उसमें मैंने कहा था कि बहस पूरी होनी चाहिये। इस पर, अध्यक्ष महोदय, आपने कहा था कि होगी। आप बैठिये। रात को भी बैठ जायेंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि उसको प्राथमिकता दी जानी चाहिये। वह बहुत महत्वपूर्ण है। आज सरकार और मिल मालिक कपास की कीमत कम करने का जी जान से प्रयत्न कर रहे हैं। हर साल किसान की छूट करने के बारे में सरकार और मिल मालिक मिले रहते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि उस पर जल्दी बहस हो और जो चर्चा चल रही थी, उसको पूरा किया जाये। इसको प्राथमिकता दी जाए।

SHRI SONAVANE (Pandharpur) : It is necessary that the session should be extended in order to cover so many points. When there are so many important matters to be discussed I do not understand why the session should be curtailed to five weeks. It is impossible to transact all the business and we do not get rest at all. We come here at 9 A. M. and go back at 9.30 P. M. Is this the way we should work? We should have rest also. It is better to extend the session.

SHRI RAGHU RAMAIAH : Regarding the Cotton Corporation I have already stated that it is going to come up on the 2nd December. Shri Madhu Limaye raised several points. Actually, last two times as many as 35 points were raised.

AN HON. MEMBER : Today ?

SHRI RAGHU RAMAIAH : I have not counted yet. The Ministers have to be consulted. Some are suggestions for action, some are suggestions for statement and some have to come by way of non-official motions. The only thing I can do is to

convey to the Ministers the strong feelings of the House.

SHRI RABI RAY : And then come to the House with a statement on what he has done.

SHRI RAGHU RAMAIAH ; Such of them as can be embodied in our business we do include. On the Five Year Plan there will certainly be a discussion. It is now proposed to have it in the last week, as it stands. The exact date will be notified later, but there will be a discussion in this session.

As regards the point raised by Shri Goyal, this point did arise in the No-Day-Yet-Named-Motion Committee. They suggested certain things, The Business Advisory Committee makes some suggestions and in the House also some suggestions are made. The Government will have to decide that within the available time what is possible to be done. The moment a suggestion is made I cannot promise "yes, everything will be done." Government have their own legislative business; then there are taxation measures and some time is set aside for non-official business. We will certainly try to put as many discussion as are possible consistent with the time available before the Government.

Mr. SPEAKER : I think we will have to revise our procedures now. We are following the British pattern. In a federal system with such a big country there are so many things happening here and there and hon. Members want to reflect them in the House. Most of the countries are considering these issues by referring them to committees; USA, USSR and many other countries are doing it. We will have to seriously think of that. After all, we are sitting for eight months in the year. The rest of the time is taken by the committees—financial committees and Joint Committees. Members get very little time to go to their constituencies. We come here early in the morning and go back at night and our constituency people think we are enjoying here in Delhi.